

## Office of the District Basic Education Officer AMROHA

## CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that Northern India Public School, Village Jalalpur Kalan, Post Maheshara, Gajraula  (Arnroha) is permanently recognized for Pre-Primary Primary and Junior School(class 1 to 8). The Recognition number alloted to Northern India Public School is 140. The applicable terms and conditions of the recognition of	
your school is annexed.	
2. DATE OF ISSUE	29-03-2022(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	old.
4 School Type	Pre-Primary, Primary and Junior School

4.School Type5.Recognition No.

140

DATE:- 29-03-2022 PLACE:- AMROHA **District Basic Education Officer** 

Digitally signed by Chandra Shekhar Date: 2022.03.29 14:19:09 Reason: For Digital Signature Location: AMROHA

## दिशा-निर्देश

**पेप**क

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी

**AMROHA** 

产田 产

प्रवद्यक

Northern India Public School

Village Jalaipur Kalan, Post Maheshara, Gajraula (Amroha)

**AMROHA** 

पत्रक वेसिक/मान्यता/

/2020-21

दिनांक :- 21/May/2022

हिषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धरा-18 के प्रयोजन के लिए जिस्सुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमादली कि अधीन विद्यालय के लिए अनितम मान्यता प्रमाण-पत्र |

महोदय

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार /निरिक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020-21 से एक वर्ष की अविधि के लिए जूनियर हाईस्कूल स्तर (1 - VIII )स्तर अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम (स्थायी) मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ |

उपरोक्त मंजूरी निम्नन्निखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं :-

के कार्यकरण की कमियों को दुर करने के लिए जारी किये जाये |

- 17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को स्निश्चित किया जाये।
- 18. विद्यालय /संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डाइस + से 💂 सम्बंधित सूचनाएं/आंकड़ें भरना अनिवार्य होगा |
- 19. शासनदेश दिनांक 11.1.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चत किया जाये | इस सम्बन्ध नें यह भी आदेशित किया जाता है कि नान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य नें कोई भी तथ्य कोपन । कृटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रवंधक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी | जिसके लिए विद्यालय प्रबंधतन्त्र स्वयं उत्तरदायी होगा |

4

(४) आषानपः त्रापा पूरा पारन पाल अस्पपः बालनः पः। मधन ४७ पः जवान जावपः। प्रथ्य अथ् अनुसार एक प्रसाण पत्र प्रदान किया जायेगा |

- (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की प्रवेश दिया जायेगा।
- (6) अध्यापकों की भर्त्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित यथा न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक . जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हो, पांच वर्ष की अविध के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे |
- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेगें।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
   विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 4338

कुल निर्मित क्षेत्रफल-15010

क्रीड़ास्थल- हाँ

कक्षाओं की संख्या- 16

प्रधानाध्यापक, कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्षाओं की संख्या- 1.1.1

पुस्तकालय /वाचनालय कक्षाओं की संख्या- 1

बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की संख्या- 4